न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 69/2022(GCMS 2022/)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 7 वाई तहसील श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 7 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 3 के बीघा नं. 1 से 10 में से भूमि अवाप्ति हेतु **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई**, जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. में निहित हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपत्तियो यथा पेड़ पौधों आदि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात किसी भी अनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परिसंपति यथा पेड़ पौधे आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MORTH भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual od Guideline on land Acquisition for National Highways under The National Highways Act. 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड़, सरंचना / परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पये पेड़–पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 31.03.2021 को पारित कर दिया गया, इसलिये अवाप्त भूमि के [illegible] पेड़–पौधो के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की [illegible] 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद पेड़–पौधों की आयु, प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता, स्थिति आदि मानकों से सबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया जानाा न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कुछ भी नही किया गया, इसलिये **सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़–पौधों का पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि किन्नू के पेड़–पौधों के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 इसलिये भी निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्तधीन भूमि पर बाहर से लाकर नये पेड़–पौधें रोपित कर दिये गये। सहायक निदेशन उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड–पौधों के अलावा भी ऐसे पेड–पौधों को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगाये गये थे तथा अवाप्ति क्षेत्र से बाहर स्थित थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यथ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध मे समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने धारा 3ए की अधिसूचना की तत्समय की मौका स्थिति की बिना जांच किये ही गम्भीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 20.06.2021 की मौकास्थिति अनुसार **समस्त किन्नू पौधों में से 443 पौधों की आयु 4 वर्ष व [illegible] वर्ष मानी जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जब[illegible] दिनांक 02.04.2018 के अनुसार प्रश्नगत किन्नू के 443 पौधों की आ[illegible] लगभग 7–8 माह एवं 12 पौधे मौके पर नही, होना साबित होते है। ऐसी दशा मे अप्रार्थी खातेदार के 443 किन्नू**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के पौधों की आयु 1 वर्ष से भी कम होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत ही आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये किन्नू के पौधे/वृक्ष पास–पास में रोपित किये गये है, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, सिंचाई विभाग आदि से प्रश्नगत पौधों के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नही है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जाँच किये धारा 3ए अधिसूचना के समय की मौकास्थिति के विरूद्ध तैयार मूल्याकंन रिपोर्ट के अनुसार उक्त किन्नू के 443 पौधों की सम्पूर्ण आयु के हिसाब से एवं 12 पौधों का आधार मूल्य के हिसाब से नियम विरूद्ध मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 22.04.2022 को पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी खातेदार ने जवाब की मद संख्या 12 में प्रश्नगत पौधों को 2017 से लगा हुआ बताया है, लेकिन मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2021 में प्रश्नगत पौधों की आयु 3 ... वर्ष बतायी है। अतः सहायक निदेशक उद्यान द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट ... पौधों की आयु धारा 3ए अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार निर्धारित नही होना साबित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर का पत्र कमांकः—एफ/2022—23/387 दिनांक 04.05.2022 में ऐसे पौधे जो उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार रोपित नही किये गये, उन पौधों का केवल आधार मूल्य ही मुआवजा राशि के रूप में दिया जाना उचित माना है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा गिरदावरी/पटवारी द्वारा पौधों की आयु व संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि की जाँचोपरान्त प्रश्नगत पौधे में से जो पौधे उद्यान विभाग के मापदण्डों के विरूद्ध पाये जाते है, तो उन पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपयुक्त जाँच के बिना पारित अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों की कुल आयु 20 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, उद्यान—श्रीगंगानगर द्वारा भा.रा.रा.प्रा. की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्याकंन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर **06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्यांकित राशि 14220/— निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रींगानगर ने किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान है।** अतः किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि को कम हुए आलौच्य अवार्ड संशाधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा राशि के निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव तय करने में कोई स्पष्टता/पारदर्शिता नही है। **सहायक निदेशक**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधो का बाजार भाव व उम्र नियम विरूद्ध तय किया है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जॉंच करवाकर बाजार भाव, उम्र व रोपित करने के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे सभी पौधे समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता की जांच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च/लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, इसलिये अवाप्त पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए। अतः आलौच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्याकंन किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में भी कर दिया गया है। जबकि सामीवर्ती राज्यों में राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं उक्त शेष आयु में होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुये मुल्यांकन किया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा समुचित साक्ष्य ली जाकर मुआवजे का पुनरावलोकन कर मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित पेड़–पौधो का संरचना अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त [illegible] धित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वी[illegible] न करने की कृपा करे। अन्य कोई विधि सम्मत आदेश, जो श्रीमान [illegible]स्थ महोदय, प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में उचित समझे पारित करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 7 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1 से 10 की भूमि अवाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को प्रकाशित की गयी थी, उसके बाद अवाप्त की कार्यवाही की गयी, 21 दिन का नोटिस दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतराज पर सुनवाई कर दिनांक 31.03.2021 को भूमि का अवार्ड जारी किया और दो समाचार पत्रों में दिनांक 31.08.2021 को प्रकाशित करवाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग एवं जयपुर की टीम के साथ जाकर पौधों का मूल्यांकन किया गया है और उसके धारा 3डी के तहत अन्तिम रूप मानकर सैन्टर गवर्मेन्ट को प्रेषित की गयी, जिस पर केन्द्र सरकार ने उसका फाईनल नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया। सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार मे निहित नहीं होती जब तक पोजेशन लेने से पहले राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। विचाराधीन प्रकरण में आज तक राशि खातेदार के नाम से जमा नहीं करवाई गई है इसलिए विल्लंगमों से मुक्त भारत सरकार में भूमि निहित नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि पेड़ पौधे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2016–17 लगाये गये है, उसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया। **धारा 3 बी के अनुसार उत्पन्न फायदे व भूबद्ध चीजें व स्थाई रूप से जकड़ी हुई चीजे भूमि की परिभाषा में आती है।** इसलिए मुआवजा कब्जा लेते समय की स्थिति का होना चाहिए न कि धारा 3(ए) के अनुसार।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि [illegible] अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते है इसमें केवल एनएच की धारा 3ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के प्रावधान ही लागू होते है, उसके अनुसार खातेदार मुआवजा पाने के अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा जो रिपोर्ट 2021 में दी गई है वह दिनांक 02.04.2018 को पेड़ पौधों की आयु को ध्यान में रखते हुए, मुआवजा तय किया गया है। दिनांक 22.04.2022 का अवार्ड विधिसम्मत पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान, गंगानगर व जयपुर तथा संयुक्त निदेशक विभाग, गंगानगर द्वारा मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के बाग में किन्नू के 443 पौधों की आयु 4 वर्ष व 12 पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखकर रिपार्ट तैयार की गई। अप्रार्थी द्वारा बाग में अन्य पौधे नहीं लगाये गये है और न ही इससे अतिरिक्त पौधों की गणना की गयी हैं। प्रार्थी का किन्नू का बाग लगा हुआ है वह वाई माईनर नहर के साथ चिपता है। नगर के उपर लम्बे कीकर, शीशम, सफदें के पौधे है जिसमें खजूर के तो पौधे तो लम्बे है वे गूगल मैप में आ गये लेकिन किन्नू के पौधे नीचे थे वे नहर के पोड़ पौधों की ओट में होने के कारण गूगल मैप में नहीं आये। अप्रार्थी द्वारा वर्ष 2016 में 443 किन्नू के पौधे लगाये थे जो 2019 में फल देने लग गये। किन्नू के पौधों की उम्र 30 वर्ष है जबकि विभाग द्वारा अप्रार्थी को 25 वर्षों का ही क्लेम दिया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान विभाग द्वारा सर्वे कर रिपोर्ट पेश की गयी है, जिसमें एक ही जगह किन्नू का बाग लगा हुआ है जिसमें किन्नू के पौधें की उम्र 4 व 3 वर्ष बताई है जबकि यह रिपोर्ट 02.04.2018 को ध्यान में रखते हुए 2021 में पेश की गयी है। इसलिए प्रार्थी क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी है। भा.रा.रा.मा. द्वारा कृषकों के खेतों में लगे अन्य वृक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जैसे शीशम, कीकर, सफेदा इत्यादि के वृक्षों का भी मुआवजा 3ए के अनुसार दिया गया है इस आधार पर फल वृक्षों का मुआवजा भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिया जाये।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 02.07.2021 को जो रिपोर्ट की है वह 02.04.2018 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गयी है, जिसमें 443 पौधों की आयु 4 वर्ष लिखी है। 12 पौधों की उम्र 2 वर्ष लिखी है। जबकि अप्रार्थी ने 2016–17 में ही 455 पौधे लगाये थे। मौसम प्रतिकूल होने के कारण 12 पौधे जल गये थे, उसकी निरन्तरता में नये पौधे लगा दिये थे। जहां तक हनुमानगढ व सूरतगढ का आधार लिया है कि वहां 20 वर्ष किन्नू की उम्र मानी है, जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा डॉ. एम.के.कॉल जो कि किन्नू के जाने माने वैज्ञानिक है, द्वारा लिखित में किन्नू के की उम्र का आधार माना है, जिसके अनुसार किन्नू की औसत आयु 30–35 वर्ष है जबकि सहायक निदेशक उद्यान ने किन्नू की औसत आयु 30 वर्ष की मानी है जो कि उचित है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे सभी पौधे समान उत्पादन नहीं देते। हनुमानगढ व सूरतगढ के बजाय गंगानगर में मौसम के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी के किन्नू होते है। गंगानगर के लायलपुलिया के बाग के किन्नू जयपुर तक मशहूर है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.04.2022 को जारी अवार्ड विधसम्मत है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी रिछपाल सिंह की भूमि अवाप्त की गई। [illegible] राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 [illegible] से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौडा करने/दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी रिछपाल सिंह की भूमि ग्राम 7 वाई के मुरब्बा 3 के किला नम्बर 3//1 से 10 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से कुल 2,76,37,057/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 2,76,37,057/– तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, प्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**—(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

(7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;

(c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

Signature Not Verified

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत ... सम्मिलित है। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the [illegible]tion, through photographs/videography so as to ensure [illegible] of determination of compensation

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process the landowner is creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrence has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित **राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों** एवं गाईडलाईन **में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह** भूमि/**बाग आदि का** अधिसूचना **दिनांक 02.04.2018 को** अस्तित्व **में होना आवश्यक है।**

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी रिछपाल सिंह की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी रिछपाल सिंह की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 20.06.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो दिनांक 25.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौक निरीक्षण दिनांक 20.06.2021 को अवाप्त की गई में कुल 457 पौधे 4 वर्ष के, जिसमें 2 पौधे मृत बताये गये एवं 12 पौधे 3 वर्ष के पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, सहायक प्राध्यपक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल ईमेज के आधार पर कोई बाग के रूप में कोई पौधे अस्तित्व में नहीं थे इसलिए** अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर **मुआवजा देय नहीं बनता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.06.2021

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 457 पौधे 4 वर्ष के बताये गये है, जिसमे 2 पौधे मृत और 12 पौधे 3 वर्ष के बताये गये है इस प्रकार दिनांक 20.06.2021 को 443 पौधे 4 वर्ष के बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2021 में अंकित कुल 457 पौधों में से 443 पौधे की आयु 4 वर्ष व 12 पौधें की आयु 3 वर्ष एवं 2 पौधें मृत बताये गए है उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 20.06.2021 को कुल 457 पौधों में से 443 पौघों की आयु 4 वर्ष बताई गई, जिसमे दो मृत है और 12 पौधें की आयु 3 वर्ष बताई गई है। उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि कुल 457 पौधे बताये गये है, जो दिनांक 20.06.2021 करे 4 वर्ष के बताये गये है। जिसमें 2 पौधे मृत है एवं 12 पौधों की आयु 3 वर्ष बताई है। इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त कुल 445 पौधे की आयु केवल 10 माह की बनती है और शेष 12 पौधे अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 अस्तित्व में होने नहीं पाए जाते है। **इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 20.06.2021 की स्थिति के अनुसार जो मुआवजा राशि 2,76,37,057/– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों [illegible] है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप [illegible] नहीं है।**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 445 पौधों की आयु 10 माह बनती है, **जो एक वर्ष से कम अवधि के है। तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान** आयुक्तालतय, **पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162–4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार – मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) – पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जो एक वर्ष के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 372/– रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि 1116/– रूपये बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 445 पौधों की मुआवजा राशि 4,96,620/– रूपये बनती है। इस प्रकार सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 2,76,37,057/– बनाई गई है जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 4,96,620/– रूपये बनती है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर बाग पर बाग अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवज राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 2,71,40,437/– अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

जहां तक प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2021 के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा जो गिरदावरी सम्वत् 2075–76 की पेश की गई है, जिसमें मुरब्बा नम्बर 03 के किला नं. 1 से 10 में बाग दर्शाया गया है जो [illegible]–19 की है, सम्वत् 2075 दिनांक 18 मार्च 2018 से शुरू होता है और [illegible] 2019 को खत्म होता है जबकि प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2[illegible]–76 दिनांक 16.09.2018 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

15.09.2018 की स्थिति को दर्शाती है। राजस्थान भू–अभिलेख अधिनियम 1957 के रूल्स 58 के अनुसार गिरदावरी हेतु किये जाने वाले दौरे का आरम्भ और उसकी समाप्ति की दिनांक निम्न होगी :

नाम (फसल)	दिनांक प्रारम्भ होने की	दिनांक पूरा होने की
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उल्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मर्ठ

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2075–76 की है, जिसकी स्थिति अनुसार 16 सितम्बर 2018 को बाग है किन्तु इस गिरदावरी के अनुसार धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को बाग होना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए गिरदावरी के अनुसार भी अप्रार्थी का कोई मुआवजा भी देय नहीं बनता हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.200 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष ....

गांव का नाम ....　　　　गिरदावर वृत ....

तहसील ....　　　　जिला..............................

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर मे)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	[illegible]	[illegible]	शेष	गत वर्ष का उत्पादन ([illegible] मे)	
1	2	3	4	5	6	[illegible]	[illegible]	9	10	11

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल .... भू.अ.नि.वृत .... तहसील ....

जिला .... वर्ष ....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील ....

जिला श्रीगगानगर　　संवत .... वर्ष 2022–23　　(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमें फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमं फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ—1 एवं 2 मुरब्बा नं. 3 व किला नं 1 ता 10 मे स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं की गई जबकि उक्त गिरदावरी सम्वत् 2075—76 जो दिनांक 15.09.2018 की स्थिति की है। जिससे धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त गिरदावरी सम्वत् 2075—76 जो कि वर्ष 2018—19 की है, के आधार पर, किसी प्रकार से बाग के रूप में कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है क्योंकि उक्त गिरदावरी में अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति नहीं है और अप्रार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है।

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 20.06.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु 4 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 20.06.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 2,76,37,057/— अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी रिछपाल सिंह की हद तक खारिज किया जाता है। **सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 की ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, अवार्ड जारी करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है,** इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:03 IST
Reason: SelfAttested